मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 735 / मा॰वि॰ 3प॰ / 2018 दिनांक : 31-5-2018

कार्यालय आदेश

कार्य हित में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से लो–रिस्क में प्राधिकरण योजनाओं के अन्तर्गत अनुज्ञा हेतु प्राप्त मानचित्रों के सापेक्ष आरोपित किये जाने वाले अनुरक्षण शुल्क व देय प्रतिकर सम्बन्धी गणनाओं से सम्बन्धित आख्या/सूचना उपलब्ध कराये जाने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण उक्त सूचनाऐं पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य वितरण किया जाता है:–

1. **अनुरक्षण शुल्क** :– पोर्टल पर प्राप्त लो–रिस्क मानचित्रों को आवंटित अवर अभियन्ता द्वारा अनुरक्षण शुल्क की गणना प्राप्त करने हेतु आवेदन/मानचित्र, श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता को ऑनलाईन प्रेषित किये जायेगें। श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त मानचित्र/आवेदन को योजनाओं में पदस्थ निम्नलिखित अवर अभियन्ताओं को अनुरक्षण शुल्क की गणना किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

क्र.सं.	योजना का नाम	अवर अभियन्ता
1.	सैनिक विहार	श्री राज सिंह
2.	श्रद्धापुरी	श्री सतेन्द्र सिंह यादव
3.	डिफेन्स एन्कलेव	श्री सतेन्द्र सिंह यादव
4.	पल्लवपुरम	श्री उमाशंकर सिंह
5.	गंगानगर	श्री संजीव तिवारी
6.	वेदव्यासपुरी	श्री अनिल कुमार सिंह
7.	गंगानगर एक्स0	श्री मनोज तिवारी
8.	लोहियानगर	श्री भानुप्रकाश वर्मा
9.	पाण्डवनगर	श्री अविनाश चन्द
10.	शताब्दीनगर	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता
11.	रक्षापुरम	श्री एस.के. सिन्हा
12.	मेजर ध्यानचन्द नगर	श्री वेदप्रकाश वर्मा

श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त उक्त योजनाओं के अवर अभियन्ताओं द्वारा प्राप्त मानचित्रों/आवेदनों में अनुरक्षण शुल्क की गणना प्राथमिकता पर करते हुए कम्प्यूटर अनुभाग से गणना शीट प्राप्त कर क्रमांक 01 से क्रमांक 06 तक की योजनाओं हेतु लेखानुभाग में पदस्थ लेखाकार श्री अनवर अहमद सिद्दीकी एवं क्रमांक–07 से 12 तक की योजनाओं हेतु श्री विनोद शर्मा, लेखाकार से व्यक्तिगत रूप से गणनाओं की जांच कराकर पोर्टल पर वापिस श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता को प्रेषित करेगें। योजनाओं में पदस्थ अवर अभियन्ताओं से प्राप्त अनुरक्षण शुल्क की गणना की सूचना श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता आवंटित अवर अभियन्ता को ऑनलाईन सूचित करेगें। लेखानुभाग के लेखाकारों द्वारा अवर अभियन्ताओं द्वारा जांच हेतु दी गयी गणनाओं का सत्यापन प्राथमिकता पर तत्काल करते हुए सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को उपलब्ध करायी जायेगी। लेखानुभाग के उक्त दोनों लेखाकारों में से किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे लेखाकार द्वारा उनसे सम्बन्धित योजनाओं का कार्य देखा जायेगा।

2. **प्रतिकर** :– पोर्टल पर प्राप्त लो–रिस्क मानचित्रों को आवंटित अवर अभियन्ता द्वारा प्रतिकर की गणना प्राप्त करने हेतु आवेदन/मानचित्र ऑनलाईन काजी रिजवान उल्लाह, राजस्व निरीक्षक को प्रेषित किये जायेगें। काजी रिजवान उल्लाह, राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिकर की देयता की गणना सम्बन्धित सम्पत्ति लिपिक से तत्काल करवाकर प्राथमिकता पर तत्काल आवंटित अवर अभियन्ता को प्रेषित की जायेंगी।

कम्प्यूटर अनुभाग में श्री शरद श्रीवास्तव द्वारा अवर अभियन्ताओं के सम्पर्क करने पर तत्काल सम्बन्धित गणना शीट उपलब्ध करायी जायेगी एवं यदि कम्प्यूटर में उपलब्ध सॉफ्टवेयर में सम्बन्धित आवंटी का किसी भी प्रकार का विवरण फीड नही है तो उसकी सूचना वह तत्काल सम्पत्ति अनुभाग के राजस्व निरीक्षक काजी रिजवान उल्लाह को सूचित करेगें। श्री शरद श्रीवास्तव, कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा सूचित किये जाने पर काजी रिजवान उल्लाह, राजस्व निरीक्षक तत्काल सभी सम्बन्धित डाटा कम्प्यूटर में अपडेट करायेगें।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें एवं विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

31.5.18

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2. मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
5. प्रभारी ऑनलाईन, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
6. प्रभारी सम्पत्ति, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
7. प्रभारी कम्प्यूटर, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
8. समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।

31.5.18

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

श्री शुक्ला/प्रदीप
उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Sharad
1/6/18

D:\RG\RF